

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-विधि-०७/२०१८..... 1789 (गि)/पटना, दिनांक- 19/2/26

भवन निर्माण विभाग के संकल्प सं०-10851(भ) दिनांक-22.10.2018 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 एवं संकल्प ज्ञापांक-1718 दिनांक-06.05.2010 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन विभागीय अधि०सं०-1882(भ) दिनांक-18.02.2019 द्वारा GATE Score के आधार पर संविदा पर नियोजित सहायक विद्युत अभियंताओं जिनका विभागीय अधि०सं०-2111(भ) दिनांक-06.03.2020, विभागीय अधि०सं०-2248(भ) दिनांक-26.03.2021, विभागीय अधि०सं०-2436(भ) दिनांक-31.03.2022, विभागीय अधि०सं०-1893(भ) दिनांक-02.03.2023, विभागीय अधि०सं०-1354(भ) दिनांक-08.02.2024 द्वारा दिनांक-18.02.2024 से दिनांक-17.02.2025 तथा विभागीय अधि०सं०-2234(भ) दिनांक-07.03.2025 द्वारा दिनांक-18.02.2025 से दिनांक-17.02.2026 तक के लिए अवधि विस्तारित किया गया है। कार्यरत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में कार्यरत कुल 08 (आठ) सहायक विद्युत अभियंता की नियोजन अवधि दिनांक-18.02.2026 से दिनांक-17.02.2027 तक के लिए अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) विस्तारित किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक विद्युत अभियंता का नाम	आरक्षण कोटि	गृह जिला	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री सोनू निगम	अनारक्षित	पूर्णिया	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, औरंगाबाद, विद्युत कार्य प्रमंडल, गया।
2	श्री रूपेश कुमार	अ०पि०व०	मधेपुरा	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, गोपालगंज, विद्युत कार्य प्रमंडल, छपरा।
3	सुश्री कुसुम सिन्हा	अनारक्षित (महिला)	पटना	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, जहानाबाद, विद्युत कार्य प्रमंडल, गया।
4	सुश्री स्वेता शालिनी	पि०व० (महिला)	मुंगेर	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, बाँका, विद्युत कार्य प्रमंडल, भागलपुर।
5	सुश्री कोमल मेहता	पि०व० (महिला)	पटना	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, लखीसराय, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुंगेर।
6	श्री अजय कुमार	अनु०जाति	गया	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, समस्तीपुर, विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा।
7	श्री कमलेश कुमार	अनु०जाति	मुजफ्फपुर	सहायक विद्युत अभियंता, अवर प्रमंडल, मधेपुरा, विद्युत कार्य प्रमंडल, सहरसा।
8	सुश्री रूही बानो	अनारक्षित (महिला)	सारण	प्राक्कलन पदाधिकारी, विद्युत कार्य प्रमंडल सं०-03, पटना।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि संविदा के आधार पर नियोजित उक्त सहायक विद्युत अभियंता के बीच पुनः नये सिरे से 01 वर्ष के लिए एकरारनामा कराकर मूल प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय। एकरारनामा कराने के उपरांत ही वेतनादि का भुगतान किया जाय। एकरारनामा हेतु विहित प्रपत्र संलग्न है।

कृ०पृ०स०.....

4. संविदा के आधार पर विभागीय अधि०सं०-1882(भ) दिनांक-18.02.2019 द्वारा नियोजित उक्त सहायक विद्युत अभियंताओं के संबंध में शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ललित कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1789 (अ)

पटना, दिनांक- 19/2/26

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1789 (अ)

पटना, दिनांक- 19/2/26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:- 1789 (अ)

पटना, दिनांक- 19/2/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/सभी अपर सचिव/अभियंता प्रमुख (विद्युत)/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निदेशक, अनुश्रवण/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित नियोजित सहायक विद्युत अभियंता एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

परिशिष्ट-01

संविदा के आधार पर पुनः नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं चयनित/नियोजित

श्री..... के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है:-

1. यह नियोजन केवल सहायक विद्युत अभियंता/सहायक अभियंता (यांत्रिक) (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए किया जाएगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजित श्रीको रू 80,000/- (अस्सी हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह एकमुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि का भत्ता देय नहीं होगा।
4. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
5. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
6. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कौन्ट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
7. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्त मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

नियोजित व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं तिथि